(345)

(453)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय रीवा संभाग रीवा म०प्र०

R- 1277-II/12

चन्द्रकीर्ति सिंह तनय श्री गरूण सिंह उम्र    वर्ष, निवासी ग्राम बुढ़िया तह० रायपुर कर्चुलियान जिला रीवाम०प्र०

......... आवेदक / निगरानी कर्ता

बनाम

1- कामता सिंह तनय देशपती सिंह

2- बलराज सिंह तनय श्री महेश सिंह

3- अरूण सिंह तनय श्री सुग्रीव सिंह

4- चन्द्रकीर्ति सिंह तनय विक्रम सिंह

सभी निवासी ग्राम बुढिया तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवाम०प्र०

...... अनावेदक गण/ गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा के प्रकरण कृमांक 3अ 12/10-11 आदेश दिनांक 20.9.11

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू. राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :-

1- यह कि आराजी नम्बर 87/1, 88/2, 89, 91/3 स्थित ग्राम बुढिया तहसील रायपुर कर्चुलियान का सीमांकन का आवेदन पत्र अनावेदक कृमांक -1 द्वारा तह० न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार महोदय ने सीमांकन करने का आदेश दिया जिसमे प्रार्थी / आवेदक निगरानी कर्ता को

पृ...2

(345)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1277– II / 2012 जिला–रीवा

चंद्रकीर्ति सिंह / कामता सिंह वगैरः

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 38/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |